झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

सिविल विविध याचिका सं. 83/2020

अंतर्वर्ती आवेदन सं 1407/24

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, धनबाद उत्तरदाता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अखौरी अविनाश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री रत्नेश कुमार, अधिवक्ता

आदेश संख्या 0 5: दिनांक 20 फरवरी 2024

अंतर्वर्ती आवेदन सं 1407/24

1. सिविल विविध याचिका को प्राथमिकता देने में 891 दिनों की देरी को माफ करने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया है।

2. यह प्रस्तुत किया गया है कि 2016 की कर अपील संख्या 19 की बहाली के लिए तत्काल बहाली आवेदन दायर किया गया है, जिसे 2017 के सी. एम. पी. संख्या 54 में पारित आदेश का पालन न करने के लिए दिनांक 28.07.2017 को चूक के लिए खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2016 की कर अपील संख्या 19, विद्वान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 17.12.2015 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। लेकिन अनजाने में, कार्यालय द्वारा बताए गए दोषों को उक्त कर अपील में दूर नहीं किया जा सका , इस प्रकार इसे चूक के लिए खारिज कर दिया गया था और जब याचिकाकर्ता को 2016 की उक्त कर अपील संख्या 19 को खारिज करने के बारे में पता चला, याचिकाकर्ता

ने सिविल विविध याचिका संख्या 54/2017 में पारित 14.07.2017 दिनांकित आकस्मिक आदेश के गैर-अनुपालन के लिए चूक के लिए खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता ने वर्तमान सिविल विविध याचिका 2020 की सिविल विविध याचिका. संख्या 83/2020 को प्राथमिकता दी है।

4. अब तक सिविल विविध याचिका संख्या 83/2020 को प्राथमिकता देने में देरी का संबंध है, सिविल विविध याचिका संख्या 54/2017 में ज्ञापन प्राप्त होने पर, मामले की फाइल के साथ संबंधित दस्तावेजों को याचिकाकर्ता को उपलब्ध आगे के उपाय के बारे में निर्णय लेने के लिए कंपनी के कानूनी अनुभाग को भेज दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी के कानूनी अनुभाग ने वर्तमान मामले में उनकी सलाह लेने के लिए अपने पैनल में शामिल वकील से संपर्क किया।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते अपनी आंतरिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है जिसमें विभिन्न खंडों में फाइलों की आवाजाही के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर सहमति शामिल है, इसलिए कुछ देरी हुई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पास वर्तमान अपील के लिए अच्छे आधार हैं, जैसे कि देरी को माफ करने के बाद तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर गंभीर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि कर अपील को बहुत पहले 28.07.2017 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान आवेदन 05.02.2020 को दायर किया गया है, यानी लगभग 891 दिनों के अंतराल के बाद, वह भी बिना किसी पर्याप्त कारण के। इसलिए, वर्तमान विलंब माफी आवेदन अस्वीकार किए जाने के योग्य है।

7. हमने विलंब माफी आवेदन पर अपीलार्थियों के विद्वान वकील को सुना है और उस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्ताव को संदर्भित करना उचित और सही समझता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुचित देरी को माफ करने में न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में प्रस्तावित किया गया है।

8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर वाद. को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यदि अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करे।

9. इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अवधि मर्यादा विधि का कानूनी भाषा में निहितार्थ जन कल्याण के लिए मुकदमेबाजी के लिए एक अवधि निर्धारित किये जाने से है। अवधि मर्यादा विधि पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि विचार यह है कि हर कानूनी उपाय पक्षकारों के अधिकार, बल्कि विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि **बृजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 351** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है।

10. प्रिवी काउंसिल ने **जनरल एक्सीडेंट फायर एंड लाइफ एस्योरेंस कॉर्प लिमिटेड बनाम जनमहम्मद अब्दुल रहीम, (1939-40) 67 आई. ए. 416** टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि

> *"सीमा और प्रिस्क्रिप्शन का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से काम करता प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा का प्रावधान करता है, तो इसे किसी विशेष पक्ष के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधारों पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित नहीं कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों को लागू नहीं कर सकता है।*

11. **पी. के. रामचंद्रन बनाम केरल राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 556** वाले मामले में, शीर्ष न्यायालय ने 565 दिनों की देरी को माफ करने के मामले पर विचार करते हुए, जिसमें देरी को माफ करने के लिए उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण से कम कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, अनुच्छेद 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> *"सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है जब क़ानून इस तरह निर्धारित करता है और अदालतों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं होती है।"*

12. कानून की यह तय स्थिति है कि जब कोई वादी नेक इरादे से कार्य नहीं करता है और साथ ही, अपनी ओर से निष्क्रियता और लापरवाही के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसे नेक इरादे की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें देरी की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ **सचिव द्वारा गुजरात राज्य और अन्य बनाम वी. आर. कनुभाई कांतिलाल राणा, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 4202** के माध्यम से दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है,

जिसमें अनुच्छेद 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "कानून ने अपील को प्राथमिकता देने के लिए 30 दिनों की सीमा की एक निश्चित अवधि निर्धारित की है, सरकार सीमा की अवधि के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है क्योंकि यह विधायिका का इरादा कभी नहीं था कि जब सरकार अपीलकर्ता हो तो सीमा की एक अलग अवधि होनी चाहिए।"

13. **पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर., [(2012) 3 एस. सी. सी. 563**],के मामले में यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 27 से 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

27. यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति (व्यक्ति) इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके मामले को उठाने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि सहित शामिल मुद्दों से अच्छी तरह से अवगत या परिचित थे। वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग अदालत की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्तियों के साथ था। प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम एक सवाल उठा रहे हैं कि देरी को केवल इसलिए यांत्रिक रूप से माफ किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार या सरकार की एक शाखा हमारे सामने एक पक्ष है।

28. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देरी को माफ करने के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी नहीं थी, तो पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। उपयोग की जा रही और उपलब्ध आधुनिक तकनीकों को देखते हुए अवैयक्तिक तंत्र और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।

29. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया है, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों का यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। विलम्ब का निषेध एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए एक प्रत्याशित लाभ के रूप

में नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही प्रकाश में आश्रय देता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए।

14. इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम. चैत्रम मेवाडे, [(2020) 10 एस. सी. सी. 667]** मामले में **पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम वी. आर. लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य.** (ऊपर), मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करने के बाद।) पैराग्राफ 1 से 5 में कहा हैः

"1. मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करना जारी रखता है और आचरण में सुधार नहीं किया जा सकता है। विशेष अनुमति याचिका 588 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। 15-10-2020 के हमारे आदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एम. पी. बनाम भेरूलाल [एम. पी. बनाम भेरूलाल राज्य, (2020) 10 एस. सी. सी. 654] में अपील दायर करने में इस तरह की अत्यधिक देरी से निपटने का अवसर मिला।

2. हमने उस मामले में एक विस्तृत आदेश लिखा है और हम उसी तर्क को फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं, सिवाय उन तथ्यों को दर्ज करने के जिनके आधार पर देरी को माफ करने की मांग की गई है। दिनांक 5.1.2019 को, यह कहा गया है कि दिनांक 13.11.2018 को दिए गए फैसले के संबंध में सरकारी अधिवक्ता से संपर्क किया गया था। [चैत्रम मेवाडे बनाम एम. पी. राज्य, [2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 1632] और विधि विभाग ने दिनांक 26-5-2020 को विवादित आदेश के खिलाफ एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी। इस प्रकार, विधि विभाग को यह तय करने में लगभग 17 महीने का समय लगा कि एसएलपी दायर की जानी है या नहीं। कानूनी विभाग के लिए अक्षमता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या होगा।

3. हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को कानूनी विभाग के सुधार के पहलू पर गौर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी भी उचित अवधि के भीतर सीमा के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है। पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड [पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड, (2012) 3 एस. सी. सी. 563] के फैसले को देखते हुए इस तरह के बहाने, जैसा कि पहले ही उपरोक्त आदेश में दर्ज हैं, अब स्वीकार्य नहीं हैं।

4. हमने अपनी चिंता यह भी व्यक्त की है कि इस तरह के मामले केवल "प्रमाण पत्र मामले" हैं जो इस मुद्दे को शांत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य उन अधिकारियों की त्वचा को बचाना है जो चूक में हो सकते हैं। हमने उस

स्थिति की विडंबना भी दर्ज की है जहां उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो इन फाइलों पर बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं।

5. देरी की अवधि और जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन किया गया है, न्यायिक समय की बर्बादी को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता राज्य पर मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के साथ जमा किए जाने के लिए 35,000 रुपये का खर्च लगाते हैं। यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए। यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए। फाइलों को दाखिल करने और उन पर बैठने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी (ओं) से राशि की वसूली की जाए और उक्त राशि की वसूली का प्रमाण पत्र भी उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय में दाखिल किया जाए। हमने उप महाधिवक्ता को आगाह किया है कि इस तरह के किसी भी लगातार मामलों के लिए लागत बढ़ती रहेगी।

15. **रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एस. सी. आर. 762** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बनाया गया है, अपीलार्थी को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ 12 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है

''12. हालाँकि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में देरी की माफी का हकदार नहीं है। धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण एक पूर्ववर्ती शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं करना होगा।पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है और आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह पूछना होगा कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए। पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है और आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह पूछना होगा कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए। यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी अपने पास उपलब्ध सभी समय के दौरान बेकार क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो ईमानदारी या उचित परिश्रम के विचार हमेशा सामग्री और प्रासंगिक होते हैं। ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय से धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, हमारी राय

में, धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाए गए विचारों को उन आवेदनों से निपटने में उसी हद तक और उसी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है जो धारा 14 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के तहत तय किए जाते हैं। धारा 14 के संदर्भ के बिना धारा 5। वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि विवेकाधिकार का उपयोग अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि सीमा की अवधि के दौरान अपीलार्थी की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। वास्तव में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विद्वत न्यायिक आयुक्त ने विलंब की माफी के लिए अपीलार्थी के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जल्द से जल्द अपील दायर करना अपीलार्थी का कर्तव्य था, और यह, हमारी राय में, एक वैध आधार नहीं है।

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलम्ब क्षमा आवेदन पर विचार करते समय, विधि न्यायालय को विलम्ब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण पर विचार करने की आवश्यकता है और साथ ही वादी के दृष्टिकोण पर भी कि क्या यह प्रामाणिक है या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित किया जाता है और इस प्रकार, वादी के प्रामाणिक उद्देश्य पर गौर करना आवश्यक है और साथ ही, उसकी ओर से निष्क्रियता और खामियों के कारण भी।

17. इसे यह भी संदर्भित करने की आवश्यकता है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। **बसावराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एस. सी. सी. 81] 81],** मामले में 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार किया गया है। वी. आर. जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 से 15 में अभिनिर्धारित किया गया हैः

"9. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, क्योंकि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, "पर्याप्त" शब्द में उससे अधिक कुछ नहीं है जो एक तर्क प्रदान करता है, जो जब कार्य किया जाता है तो किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, जिसकी विधिवत जांच एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से की जाती है। इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "लगन से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए ताकि संबंधित अदालत इस कारण

से विवेक का प्रयोग कर सके कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी। (मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कार्पोरेशन देखें। लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336], माता दिन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस. सी. सी. 770], परिमल बनाम वीणा [(2011) 3 एस. सी. सी. 545] और मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम [(2012) 5 एस. सी. सी. 157]।

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993] मामले में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि बहुत "पर्याप्त कारण" एक-अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह अच्छा कारण हो सकता है और इसके विपरीत भी। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का पालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाए।

11. "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र संभव नहीं है।

(मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एस. सी. सी. 535] और राम नाथ साओ बनाम गोवर्धन साओ [(2002) 3 एस. सी. सी. 195]।

12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। "एक वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने का कोई अधिकार

नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानती है। वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी उक्ति ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. सीमा कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय के साथ बासी हो गए हैं। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, वॉल्यूम। 28, पृ. 266:

"605 सीमा अधिनियमों की नीति। अदालतों ने सीमाओं के कानूनों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि एक प्रतिवादी ने एक पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया हो, और (3) कि कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या बाधाओं से खो गया हो सकता है, उसमें गड़बड़ी या अभाव को रोकती है। (पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन देखें। [(2005) 7 एस. सी. सी. 510] राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी. 705: ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक जलम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448]

14. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एस. सी. सी. 578] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को शामिल करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी. 225] मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होगा।

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की घोर अवहेलना करने के समान है।

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"। हालाँकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को इस कारण से संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी जैसा कि **मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336, लाला मातादीन बनाम ए. नारायणन, (1969) 2 एस. सी. सी. 770, परिमल वीणा @भारती, (2011) 3 एस. सी. सी. 545 और मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157** मामले में कहा गया है।

20. उपरोक्त निर्णयों में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त न्याय किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्या पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और

कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र संभव नहीं है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम नाथ साव @राम नाथ साहू और अन्य बनाम गोबरधा एन साओ एंड ओआरएस., (2002) 3 एससीसी 195 ओआरएस**

मामलों में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें, पैराग्राफ 12 में, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः

> *12. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी किसी पक्ष के लिए आरोप योग्य न हो। किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कदम उठाने में हुई देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अदालतों को दिखाए गए कारण के साथ दोष खोजने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति उल्लास में एक गलत आदेश द्वारा याचिका को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार एक अपवाद होना चाहिए, , विशेष रूप से तब जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है जिसे नियमित रूप से देरी को माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मामले के बारे में एक पांडित्यपूर्ण और अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर दिए गए स्पष्टीकरण को तब खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में दांव अधिक हों और/या तथ्यों और कानून के तर्कपूर्ण बिंदु शामिल हों, जिससे उस पक्ष को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति हो, जिसके खिलाफ एल. आई. एस. या तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से समाप्त हो जाता है और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसे पक्ष के मूल्यवान अधिकार को विफल कर देता है। योग्यता के आधार पर निर्णय। मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो यह दोनों पक्षों को किसी भी तरह से पारित करने जा रहा है।"*

20. यह न्यायालय, उपरोक्त प्रस्ताव और 891 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए विलंब माफी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

21. यह ऊपर उल्लिखित निर्णयों से स्पष्ट है, जिसमें 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।

22. यह न्यायालय, यह आकलन करने के लिए कि क्या अंतर्वर्ती आवेदन के रूप में संदर्भित आधार को सिविल विविध दाखिल करने में 891 दिनों की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है। कर अपील की बहाली के लिए याचिका, रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिवचन की जांच की गई है और वहाँ से पाया गया कि कर अपील संख्या 19/2016 की बहाली के लिए सिविल विविध याचिका संख्या 83/2020 बहाली आवेदन दायर किया गया है, जिसे सी. एम. पी. सं. 54/2017 में पारित दिनांक 14.07.2017 के आदेश का पालन न करने के लिए 28.07.2017 को चूक के लिए खारिज कर दिया गया है। यह आगे प्रतीत होता है कि कर अपील संख्या 19/2016, विद्वान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 17.12.2015 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उक्त कर अपील कुछ दोषों के साथ दायर की गई थी, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित आकस्मिक आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया था, इस प्रकार इसे सिविल विविध याचिका संख्या 54/2017 में पारित 14.07.2017 दिनांकित आकस्मिक आदेश का पालन न करने के लिए चूक के लिए खारिज कर दिया गया था। यह आगे प्रतीत होता है कि कर अपील संख्या 19/2016, विद्वान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 17.12.2015 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उक्त कर अपील कुछ दोषों के साथ दायर की गई थी, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित आकस्मिक आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया था, इस प्रकार इसे सिविल विविध याचिका संख्या 54/2017 में पारित 14.07.2017 दिनांकित आकस्मिक आदेश का पालन न करने के लिए चूक के लिए खारिज कर दिया गया था।

23. यह आगे प्रतीत होता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, 891 दिनों की लंबी अवधि के बाद गहरी नींद में सोया और जाग गया और तत्काल बहाली आवेदन को सिविल विविध याचिका संख्या 83/2020 होने को प्राथमिकता देने का फैसला किया।

24. हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि सीएमपी संख्या 54/2017 में ज्ञापन प्राप्त होने पर, मामले की फाइल के साथ संबंधित दस्तावेजों को याचिकाकर्ता को उपलब्ध आगे के उपाय के बारे में निर्णय लेने के लिए कंपनी के कानूनी अनुभाग को भेज दिया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता कंपनी के कानूनी अनुभाग ने वर्तमान मामले में उनकी सलाह लेने के लिए अपने पैनल में शामिल वकील से संपर्क किया

और चूंकि याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते अपनी आंतरिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है जिसमें विभिन्न अनुभागों में फाइलों की आवाजाही के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर सहमति शामिल है, इसलिए कुछ देरी हुई है।

25. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए कारण और ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा विलंब माफी आवेदन में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसे अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है।

26. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 05.01.22 को एल. पी. ए. संख्या 86/2021 में विलंब माफी आवेदन को खारिज करने सम्बन्धी एक आदेश पारित किया है क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 687 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

27. एल. पी. ए. संख्या 835/2019 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश में एक अन्य मामले का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जिसमें 568 दिनों की देरी को माफ करने का मुद्दा विचाराधीन था।

28. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलार्थियों द्वारा उसमें प्रस्तुत कारण को, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके, एक मेज से दूसरी मेज पर फाइल के स्थानांतरण के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है।

29. राज्य अपीलार्थी ने एस. एल. पी. संख्या 7755/2022 के रूप में एस. एल. पी. दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और एल. पी. ए. संख्या 835/2019 में पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन उक्त एस. एल. पी. संख्या. 7755/2022 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांकित 13.05.2022 के आदेश से प्रतीत होता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2023 को झारखंड राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8378 8379/2023 को भी खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा 2021 के एल. पी. ए. संख्या 99 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

31. इस न्यायालय का विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में निर्धारित अनुपात और विलंब माफी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखते हुए अपील दायर करने में 891 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।

32. तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन सं. 1407/2024 होने के कारण विलम्ब क्षमा आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

33. इसके परिणामस्वरूप, सिविल विविध याचिका सी. एम. पी. संख्या 83/2020 भी खारिज हो जाती है।

34. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|